

07.04.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल वाद पत्र विद्रा हो गया। मूल वाद पत्र विद्रा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्रा विद्रा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.03.2025 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हा

hsh

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
मुमानगढ

